कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांकः-349 /11-सी-FP/UP/IND/23246/2016, लखनऊः दिनांकः अगस्त 13 ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः— जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण एवं 5715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक–521/मी0क्षे0/33, दिनांक 01.08.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः—

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–94 पर संलग्न आरक्षित वनभूमि की प्रीमियम एवं लीज रेंट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से नहीं है। अतः प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की पूर्ण एवं स्पष्ट वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न करें।
3. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु सारांश में वृक्षों के प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम का उल्लेख नहीं किया गया है तथा सारांश में ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार Girth wise सूची नहीं है।
4. ऑनलाइन भाग–2 में 30 सेमी0 से अधिक व्यास के 1426 वृक्ष अपलोड किये गये है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न सूची में 30 सेमी0 से अधिक व्यास के 717 वृक्षों का ही उल्लेख किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इस विषमता को दूर करते हुये त्रुटि रहित सूची संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
5. प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि (115.874 हे0) के स्थान पर केवल 87 हे0 गैर वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है एवं सारांश में अवनत भूमि का उल्लेख किया गया है तथा सारांश में प्रत्येक चरणों की वास्तविक धनराशि को सम्मिलित न करते हुये Round में धनराशि को सम्मिलित करते हुये योगफल किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें तथा प्रत्येक चरणों की वास्तविक धनराशि को सम्मिलित करते हुये ही सारांश संलग्न करें।
6. ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का बिना सत्यापित किये ही रंगीन टोपोशीट अपलोड़ की गयी है। अतः सत्यापित रंगीन टोपोशीट अपलोड़ करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु 115.874 गैर वनभूमि के सापेक्ष केवल 87 हे0 गैर वनभूमि ही वनीकरण हेतु उपयुक्त बताया गया है, तथा इसके अतिरिक्त संलग्न प्रमाण पत्र में चयनित स्थल को अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवशेष 28.874 हे0 गैर वनभूमि का चयन कराकर, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, इससे सम्बन्धित Geo Referenced Digital Map, SOI Toposheet, kml file एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड़ करें।

Acy-2178

9. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–109 पर संलग्न प्रमाण पत्र में 1.0 किमी0 की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/रिजर्व बाघ/हाथी कोरिडोर न होने का उल्लेख है। क्या भारत सरकार द्वारा 1 किमी0 की परिधि को Eco Sensitive Zone घोषित किया है? यदि हाँ तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा प्रस्तावित स्थल 10 किमी0 की परिधि के अंतर्गत होने के कारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड/राज्य वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करते हुये पावती प्रस्ताव में संलग्न करें।

10. हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक–7(viii) में विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः उचित विवरण फीड करें।

11. आनलाईन भाग–2 के कमांक–5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है।

12. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Indformation Detail में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

13. ऑनलाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में जिला प्रोफाइल में 1980 से वनेत्तर प्रयोग मे लाया गया कुल वन क्षेत्र भिन्न–भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित क्षेत्र अंकित करें।

14. प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर क्रमवार पृष्ठ सं0 अंकित नहीं है। अतः अंकित करते हुये संशोधित विषय सूची संलग्न करें।

15. प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग–2 व मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला भाग–3 मे संस्तुति नहीं की गयी है। अतः संस्तुति करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

16. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में Present Owner file के Column में अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।

17. प्रस्ताव में 7515 वृक्षों के पातन की अनुमति का उल्लेख किया गया है। अतः स्पष्ट करें कि क्या विषयगत परियोजना में 7515 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है? ऐसी जानकारी प्राप्त हुयी है कि वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 04 प्रतियाँ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–349/11–सी– FP/UP/IND/23246/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:–1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके स्तर से प्रस्ताव भेजते समय भली भाँति परीक्षण/अवलोकन नहीं किया जा रहा है। अतः प्रस्ताव भेजने से पूर्व समस्त अभिलेखों का भली भाँति परीक्षण करने के उपरान्त इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक के माध्यम से प्रेषित करें।

प्रतिलिपि:–2. श्री रामराज बाली, अधिकृत प्रतिनिधि, जे0पी0 एसोसिएट्स लि0, सेक्टर–128, नोएडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।